# झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2023 [ सभा द्वारा यथापारित ]



## झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2023 [ सभा द्वारा यथापारित ]

### विषय सूची

#### धाराएँ ।

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
- 2. 2023-24 वर्ष के लिये झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 11988,00,00,000 (ग्यारह हजार नौ सौ अठासी करोड़) रुपये की निकासी ।
- 3. विनियोग ।

अनुसूची ।

#### झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2023

झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -
- (i) यह अधिनियम झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) अधिनियम, 2023 कहा जा सकेगा ।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।
- (iii) यह 1ली अप्रैल, 2023 से प्रवृत हुआ समझा जायेगा ।
- 2. 2023-24 वर्ष के लिए झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 11988,00,00,000 (ग्यारह हजार नौ सौ अठासी करोड़) रुपये की निकासी ।- झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 1ली अप्रैल, 2023 को शुरू होनेवाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 11988,00,00,000 (ग्यारह हजार नौ सौ अठासी करोड़) रुपये, जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होंगे, निकासी की जा सकेगी।
- 3. विनियोग ।- इस अधिनियम के द्वारा झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 1ली अप्रैल, 2023 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 31वीं मार्च, 2024 तक संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेंगी।

		9 17	/ Schedule		
	the state of the s	( याराए ८ आर उद्ख	/ See Article 2 & 3)		
मांग/विनियोग	सेवा से संबंधित मांग	राजस्व/पूंजी	अनाधिक राशियां / Amount not to exceed		
Demand/ Appropriation	या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	Revenue/ Capital	झारखंड विधान समा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संचित निधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
1	2	3	4	5	6
1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	राजस्व/Revenue	25,02,15,000		25,02,15,00
	Agriculture, Animal Husbandry and Co- operative Department (Agriculture Division)	पूंजी/Capital			
4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	राजस्व/Revenue	22,81,03,000		22,81,03,000
	Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Cabinet Secretariat and Co-ordination Division)	पूंजी/Capital			
6	मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	राजस्व/Revenue	12,89,000		12,89,000
	Cabinet (Election) Department	प्ंजी/Capital			
7	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)	राजस्व/Revenue	20,40,000		20,40,000
	Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Vigilance Division)	प्ंजी/Capital	on fore		
9	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	राजस्व/Revenue	3,21,05,000		3,21,05,00
	Agriculture, Animal Husbandry and Co- operative Department (Co-operative Division)	पूंजी/Capital			
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व/Revenue	54,99,75,52,000		70,33,75,52,000
	Energy Department	पूंजी/Capital	15,34,00,00,000		
11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व/Revenue	17,00,000		17,00,000
	Excise and Prohibition Department	पूंजी/Capital			

12	वित्त विभाग	राजस्व/Revenue	11,34,67,000		11,34,67,000
	Finance Department	पूंजी/Capital			7,03,80,00,000
13	ब्याज संदाय	राजस्व/Revenue		7,03,80,00,000	7,03,80,00,000
	Interest Payment	पूंजी/Capital			1 1 5 00 00 000
14	ऋण की वापसी/अदायगी	राजस्व/Revenue		3,00,00,00,000	4,15,00,00,000
	Repayment of Loans	पूंजी/Capital		1,15,00,00,000	
17	वाणिज्यकर विभाग	राजस्व/Revenue	14,00,000		14,00,000
17	Commercial Tax	पूंजी/Capital			
	Department		3,71,69,43,000		3,71,69,43,000
19	वन, पर्यावरण एवं	राजस्व/Revenue	3,71,69,43,000		
	जलवायु परिवर्तन विभाग				
	Forest, Environment and Climate Change Department	प्ंजी/Capital			4.05.27.61.000
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा	राजस्व/Revenue	82,06,94,000		4,05,37,61,000
	शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग				
	Health , Medical Education and Family	पूंजी/Capital	3,23,30,67,000		
	Welfare Department		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		24,20,88,000
21	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	राजस्व/Revenue	24,20,88,000		24,20,00,000
	विभाग (उच्च शिक्षा			INCOME AND A	
	प्रभाग) Higher and Technical	पुंजी/Capital			
	Education Department	4011/Capital			
	(Higher Education Division)				
22	गृह, कारा एवं आपदा	राजस्व/Revenue	2,70,71,90,000		5,87,60,50,000
	प्रबंधन विभाग (गृह				
	प्रभाग)				
	Home, Jail and Disaster	पूंजी/Capital	3,16,88,60,000		
	Management Department (Home				
	Division)		. 50 00 000		1,70,00,000
24	सूचना एवं जन सम्पर्क	राजस्व/Revenue	1,70,00,000		1,70,00,000
	विभाग				
	Information and Public	पूंजी/Capital			
25	Relation Department	राजस्व/Revenue	4,71,73,000		8,10,36,00
25	कोषागार एवं सांस्थिक	(15)+q/Revenue			
	वित		3,38,63,000	)	
	Treasury & Institutional Finance	पूंजी/Capital			91.45.000
26	श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण	राजस्व/Revenue	81,45,000		81,45,000
	एवं कौशल विकास विभाग		August 1	31 MH518Q1	
	Labour, Employment, Training and Skill	प्ंजी/Capital			
	Development				
27	Department	राजस्व/Revenue	12,65,84,00	0	12,65,84,000
27	विधि विभाग				
	Law Department	पूंजी/Capital			

7,02,00,000	7,02,00,000		राजस्व/Revenue	झारखण्ड उच्च न्यायालय	28
			पूंजी/Capital	High Court of Jharkhand	
27,60,00		27,60,000	राजस्व/Revenue	खान एवं भूतत्व विभाग	29
27,00,00			पूंजी/Capital	Mines and Geology Department	
1,71,29,00		1,71,29,000	राजस्व/Revenue	विधान सभा	32
1,71,27,00			पूंजी/Capital	Legislative Assembly	
41,08,69,00		41,08,69,000	राजस्व/Revenue	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	33
			पूंजी/Capital	Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha Department (Personnel and Administrative Reforms Division)	
25,80,00		25,80,000	राजस्व/Revenue	योजना एवं विकास विभाग	35
			पूंजी/Capital	Planning and Development Department	
39,17,01,000		9,29,000	राजस्व/Revenue	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	36
		39,07,72,000	पूंजी/Capital	Drinking Water and Sanitation Department राजस्व, निबंधन एवं भूमि	
5,00,00,000		5,00,00,000	राजस्व/Revenue	सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	38
			मूंजी/Capital	Revenue, Registration and Land Reforms Department (Registration Division)	
1,51,59,15,000		1,51,59,15,000	राजस्व/Revenue	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	39
			पूंजी/Capital	Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management Division)	
1,14,01,000		1,14,01,000	राजस्व/Revenue	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	40
			पूंजी/Capital	Revenue, Registration and Land Reforms Department (Revenue and Land Reforms Division)	
17,07,000		17,07,000	राजस्व/Revenue		41
27,07,000	A PARLET		प्ंजी/Capital	Road Construction Department	
5,74,29,84,000		5,73,29,84,000	राजस्व/Revenue		42
.,,,,,.		1,00,00,000	पूंजी/Capital	Rural Development Department	

44	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	राजस्व/Revenue	7,00,000	7,00,000
	School Education and Literacy Department	पूंजी/Capital		6,39,99,000
45	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग	राजस्व/Revenue	6,39,99,000	0,39,37,000
	Information Technology and e- Governance Department	प्ंजी/Capital	20.000	30,000
46	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	राजस्व/Revenue	30,000	30,000
	Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Tourism Division)	पूंजी/Capital	AND THE RESERVE TO TH	30,05,00,000
47	परिवहन विभाग	राजस्व/Revenue	30,05,00,000	30,03,00,000
	Transport Department	पूंजी/Capital		9,27,49,26,000
48	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	राजस्व/Revenue	9,27,49,26,000	9,27,49,26,000
	Urban Development and Housing Department (Urban Development Division)	पूंजी/Capital		2.40.000
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व/Revenue	2,40,000	2,40,000
	Water Resources Department	प्ंजी/Capital	10.16.00.000	10,16,00,000
51	अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	राजस्व/Revenue	10,16,00,000	10,10,00,000
	Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Minority and Backward Class Welfare Department (Scheduled Tribe, Scheduled Caste and Backward Class Welfare Division)	पूंजी/Capital		1.04.000
52	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	राजस्व/Revenue	1,94,000	1,94,000
	Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Art Culture, Sports and Youth Affairs Division)	पूंजी/Capital		

54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	राजस्व/Revenue	1,80,00,00,000		1,80,00,00,000
	Agriculture, Animal Husbandry and Co- operative Department (Dairy Division)	पूंजी/Capital	Terror City	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
55	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व/Revenue	6,11,71,000		11,11,71,000
	Rural Works Department	प्ंजी/Capital	5,00,00,000		
56	पंचायती राज विभाग	राजस्व/Revenue	23,09,00,000		23,09,00,000
	Panchayati Raj Department	प्ंजी/Capital			
58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	राजस्व/Revenue	16,28,23,000		16,28,23,000
	School Education and Literacy Department (Secondary Education Division)	पूंजी/Capital			
59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	राजस्व/Revenue	25,00,000	Garage Control	25,00,000
	School Education and Literacy Department (Primary and Adult Education Division)	पूंजी/Capital		Control of the second	
60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक स्रक्षा विभाग	राजस्व/Revenue	3,02,56,93,000		3,33,56,93,000
	Women, Child Development and Social Security Department	प्ंजी/Capital	31,00,00,000		
	योग /Total	राजस्व/Revenue	86,08,52,38,000	10,10,82,00,000	96,19,34,38,000
		पूंजी/Capital	22,53,65,62,000	1,15,00,00,000	23,68,65,62,000
महाय	ोग / Grand Total		1,08,62,18,00,000	11,25,82,00,000	1,19,88,00,00,000

यह विधेयक झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2023 दिनांक 01 अगस्त, 2023 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 01 अगस्त, 2023 को सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है।

( रबीन्द्र नाथ महतो ) अध्यक्ष।